रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 161] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 11, 1971/आश्विन 19, 1893

No. 161] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 11, 1971/ASVINA 19, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 11th October 1971

SUBJECT.—*Import policy for Actual Users in the Small Scale Sector for April '71—March '72—Allocation for steel.*

No. 137-ITC(PN)/71.—In view of the inadequate availability of steel in the country, it has been decided to allow additional import facilities by 25 per cent to all actual users in the small scale sector during April, 1971—March, 1972 period.

2. The entitlement of the small scale industries engaged in the non-priority industries will be increased by 25 per cent on the basis of import licences/release orders issued to them for April '70—March '71. Such units (engaged in non-priority industries) which did not obtain import licences/release orders for steel items as actual users for the licensing period April '70—March '70, will also be eligible for an increase in their entitlement by 25 per cent on the basis of the value of the import licences/release orders for steel items obtained by them as actual users for the period April, 1969—March, 1970.

3. In the case of units engaged in the priority industries, an increase in the allocation of steel items by 25 per cent will be allowed over the c.i.f. value of actual consumption of imported steel items on the basis of which the units claim their import licence for raw materials during the period April '71—March '72

in accordance with the policy and procedure laid down. Such units should, therefore, furnish separately in the import application, a certificate as to the c.i.f. value of imported steel items consumed by them in the given period while applying for import licences for raw materials during April '71—March '72 in accordance with the prescribed procedure.

4. Actual users in the small scale sector who have already obtained licences release orders for steel items and for raw materials and components for April, 1971—March, 1972 period, may approach the licensing authority concerned for necessary enhancement in the value of the import licences/release orders for import of steel items in terms of the provisions of this Public Notice.

5. The provisions of this Public Notice would apply to all permissible categories of mild steel and high carbon steel and exclude stainless, tool and alloy steel.

6. The enhancement in the value of import licences would be against the same sources as the original licences.

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports & Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 1971

विषय.—अप्रैल, 1971—मार्च, 1972 के लिए लघु पैमाने क्षेत्र में लगे हुए वास्तविक उपयोक्ताओं के लिए आयात नीति—इस्पात के लिए नियतन।

सं० 137/आई० टी० सी० (पी०एन०)/71.—देश में इस्पात की अपर्याप्त उपलब्धता को ध्यान में रखकर यह निश्चय किया गया है कि अप्रैल, 1971—मार्च, 1972 अवधि के लिए पैमाने क्षेत्र में लगे हुए सभी वास्तविक उपयोक्ताओं को 25 प्रतिशत तक की अतिरिक्त आयात सुविधाएं प्रदान करने की स्वीकृति दी जाए।

2. अप्राथमिकता प्राप्त उद्योगों में लगे हुए लघु पैमाने उद्योगों की हकदारी को अप्रैल, 70—मार्च, 71 के लिए उनको जारी किए गए आयात लाइसेंसों/रिहाई आदेशों के आधार पर 25 प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा। ऐसे एककः (अप्राथमिकता प्राप्त उद्योगों में लगे हुए) जिन्होंने लाइसेंस अवधि अप्रैल, 70—मार्च, 71 के लिए वास्तविक उपयोक्ता के रूप में इस्पात मदों के लिए आयात लाइसेंस/रिहाई आदेश नहीं प्राप्त किए थे, वे भी अप्रैल, 69—मार्च, 70 अवधि के लिए वास्तविक उपयोक्ताओं के रूप में उनके द्वारा इस्पात मदों के लिए प्राप्त किए गए लाइसेंसों/रिहाई आदेशों के मूल्य के आधार पर अपनी हकदारी में 25 प्रतिशत तक की वृद्धि के लिए पात्र होंगे।

3. उन मामलों में जो प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों में लगे हुए हैं, उन्हें आयातित इस्पात मदों की वास्तविक खपत के लागत बीमा भाड़ा मूल्य पर इस्पात मदों का 25 प्रतिशत तक नियतन में वृद्धि की स्वीकृति दी जाएगी जिसके आधार पर एककः निर्धारित की गई नीति और प्रक्रिया के अनुसार अप्रैल, 71—मार्च, 72 अवधि में कच्चे माल के लिए अपने आयात लाइसेंस का दावा करेंगे। इसलिए ऐसे एककों को चाहिए कि जब वे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अप्रैल, 71—मार्च, 72 की अवधि में

कच्चे माल के लिए आयात लाइसेंस के लिए आवेदन कर रहे हों, तो दी गई अवधि में उपभोग की गई आयातित इस्पात मदों के लागत बीमा भाड़ा मूल्य के रूप में एक प्रमाण-पत्र आयात आवेदन पत्र में अलग से भेजें।

4. लघु पैमाने क्षेत्र के वे वास्तविक उपयोक्ता जिन्होंने अप्रैल, 71—मार्च, 72 के लिए इस्पात मदों तथा कच्चे माल और संघटकों के लिए लाइसेंस/रिहाई आदेश पहले ही प्राप्त कर लिया है, वे इस सार्वजनिक सूचना की शर्तों के अनुसार इस्पात मदों के आयात के लिए आयात लाइसेंसों/रिहाई आदेश के मूल्य में आवश्यक वृद्धि के लिए संबंधित लाइसेंस प्राधिकारी से सम्पर्क करें।

5. इस सार्वजनिक सूचना की व्यवस्थाएं जंगावरोधी, औजार और मिश्रित धातु इस्पात को छोड़कर नरम इस्पात और उच्च कार्बन इस्पात की सभी स्वीकार्य श्रेणियों के लिए लागू होंगी।

6. आयात लाइसेंसों के मूल्य में वृद्धि उसी उद्गमों के लिए दी जाएगी जैसी मूल लाइसेंसों के लिए दी जाती है।

एम० एम० सेन,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971